प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पत्रावली को केम्प कोर्ट मे रख कर धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एकपक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है। उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्तशुदा भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है तथा उन्हें बेदखल करने पर आमादा है उक्त अपीलाधीन आदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे निर्धारित प्रक्रिया के विपरित होने से तहसीलदार चितलवाना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.6.2018 का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया वाद सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक मे प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार चितलवाना के द्वारा दिनांक 28.6.2018 को राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत ग्राम टांपी के खसरा संख्या 1237 एवं 1236 के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के सम्बन्ध में पारित अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर मूल पत्रावली के संलग्न हो।